उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

गोविन्द उरॉव वगै0
बनाम
कशिल उरॉईन

आदेश फलक तारीख.....से.....तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 11/2011–12

वाद का प्रकार :– म्यूटेशन रिवीजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी श्री गोविन्द उरॉव वगै ग्राम–पाड़ी थाना–घाघरा जिला–गुमला पिता –श्री सूरज यादव ग्राम – असरो थाना – सिसई जिला – गुमला द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज अपील वाद सं0–07/2007–08 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में म्यूटेशन रिवीजन दायर किया गया है।

अपीलार्थी के Mutation Revision पर सुनवाई प्रारंभ करते हुए उत्तरवादी को पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

अपीलार्थी का पक्ष

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा लिखित बहस के माध्यम से प्रतिवेदित किया गया है कि दोनों पक्ष उरॉव जाति के है तथा उरॉव कानुन के तहत् शादीशुदा औरत को अपने पैतृक सम्पति में अधिकार नही होता है। उत्तरवादी कशिल उरॉईन शादीशुदा है और वह अपने पति के साथ अपने ससुराल जिलिंगसेरा थाना–घाघरा जिला–गुमला में रहती है, उनको भी अपने पैतृक सम्पति में अधिकार नही है। यह कि आर0 एस0 खाता नं0–62 63 एवं 64 मौजा पौड़ी थाना–घाघरा जिला–गुमला एवं आर0 एस0 खाता नं0–78 मौजा सेरेंगदाग थाना–घाघरा जिला–गुमला का आर0 एस0 खतियान मंगरु उरॉव पिता गोसाई उरॉव के नाम से बना है। खतियानी रैयत मंगरु उरॉव पिता गोसाई उरॉव एवं उत्तरवादी गोविन्द उरॉव वगै0 एक ही खानदान के है जिनका वंशावली निम्नलिखित हैः–

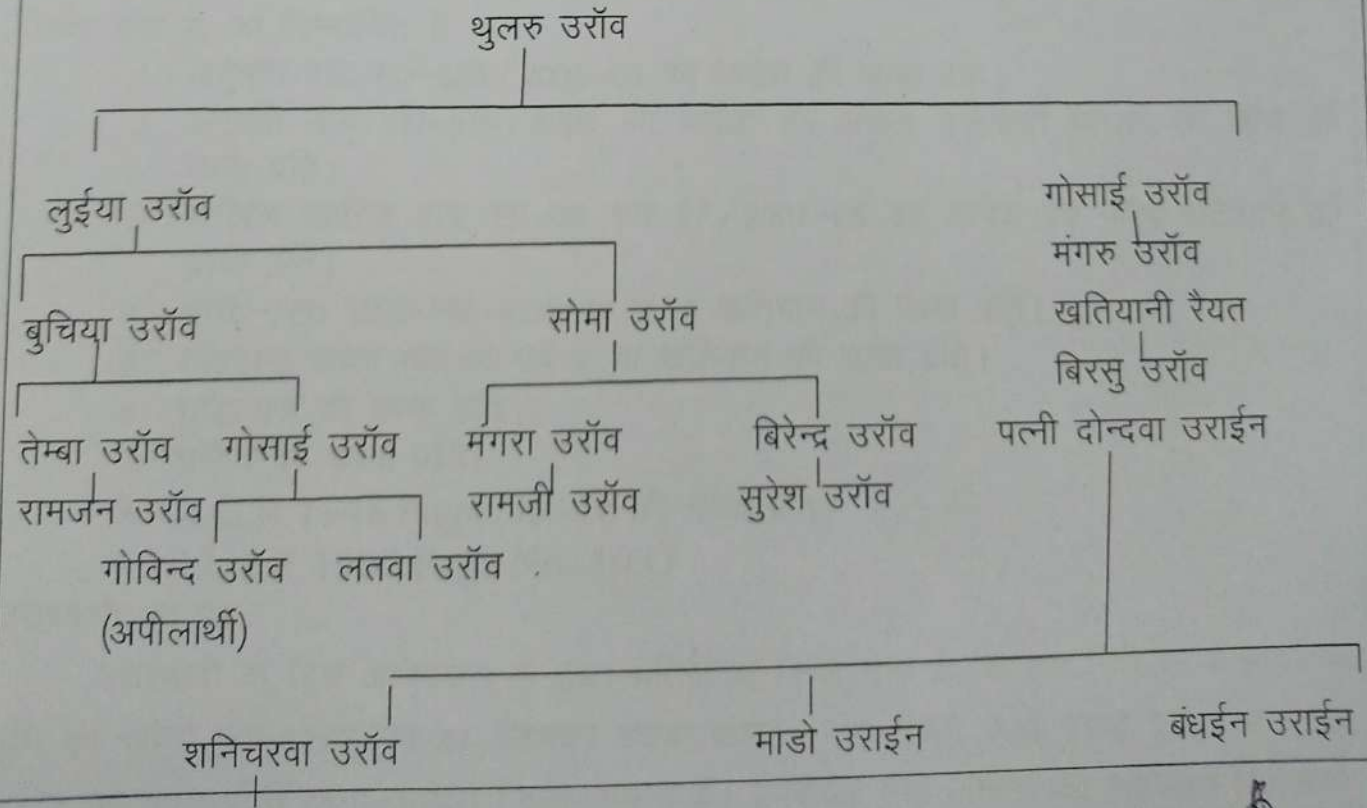

कशिल उराईन बेटी (उत्तरवादी) पति–रामप्रसाद उरॉव ग्रा0–जिलिंगसेरा उक्त वंशावली के आधार पर उत्तरवादी कशिल उराईन की शादी रामप्रसाद उरॉव के साथ हुई है। शादी के बाद अपने पति के साथ अपने ससुराल ग्राम–जिलिंगसेरा थाना–घाघरा में रहती है, और वह कभी कभी कमाने भी गॉव से बाहर जाती है। उत्तरवादी कशिल उरॉव का ससुर शपथ पत्र के माध्यम से निम्न न्यायालय में एक आवेदन दाखिल किया है। जिससे स्पष्ट होता है कि कशिल उरॉव एवं उनके पति राम प्रसाद उरॉव घर दमाद नही है। आर0 एस0 खाता नं0–09 एवं सी0 एस0 खतियान के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि गोसाई उरॉव के पिता–थुलरु उरॉव है। उनके द्वारा बताया गया कि थलरु उरॉव का एक अन्य लड़का लुईया उरॉव है। लुईया उरॉव एवं गोसाई उरॉव दोनो भाई है जिसके प्रमाण में उनके द्वारा खतियान के प्रति दाखिल किया गया है। लुईया उरॉव के दो लडके बुचिया उरॉव वो सोमा उरॉव थे जो अपीलार्थी गोविन्द उरॉव के दादा थे। उरॉव कानून के अनुसार खतियानी रैयत के नावल्द हो जाने पर उनकी जमीन नजदीकी भैयाद को चला जाता है, इसी को देखते हुए अंचल अधिकारी घाघरा द्वारा अपीलार्थी के पक्ष में दाखिल खारिज का आदेश दिये है। विवादित भूमि अपीलार्थी का दखल कब्जा है तथा उस पर खेती बारी करते है। दोन्दवा उराईन जो उत्तरवादी कशिल उराईन की दादी थी एक जमीन वक्शीश करने हेतु अनुमति आवेदन भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में दी थी। उक्त अनुमति वाद में बहस सुनने के पश्चात वाद की कार्रवाई समाप्त कर दी गई। जिसका वाद सं0–828/2006 है, उसी अनुमति वाद में कर्मचारी का जॉच प्रतिवेदन आया है, जिसमें लिखा हुआ है कि आवेदिका कशिल उरॉव की शादी ग्राम जिलिगंसेरा में की है। उक्त ग्राम पौड़ी से ढाई किलो मीटर की दूरी पर है। उत्तरवादी कशिल उराईन ग्राम–पौड़ी में नही रहती है। उत्तरवादी कशिल उराईन शादीशुदा बेटी है और उरॉव कानून में शादी हुई बेटी को अपने बाप दादा के सम्पति में अधिकार नही होता है। दाखिल कुर्सीनामा के आधार पर अपीलार्थी ही खतियानी रैयत मंगरु उरॉव का वारिश है तथा अंचल अधिकारी घाघरा अपीलार्थी गोविन्द उरॉव के पक्ष में जो दाखिल खारिज किये है व सही है। अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को रद्द करते हुए अपील स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 अनुमति वाद सं0–828/2005–06 का आदेश की छाया प्रति।
2 अनुमति वाद सं0–828/2006 का आदेश एवं अंचल अधिकारी घाघरा की जॉच की छाया प्रति।
3 दाखिल खारिज वाद सं0–38 आर 27/2007–08 का आदेश एवं जॉच प्रतिवेदन की छाया प्रति।
4 आर0 एस0 खाता सं0–62,63,64,78,50 खतियान की छाया प्रति।
5 सी0एस0 खाता सं0–30 एवं 9 का खतियान की छाया प्रति।
6 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
7 श्रसीद की छाया प्रति।
8 A.G.R 1948 Page No.-10 की छाया प्रति।
9 P.L.J.R 1987 Page No.-1037

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि इस रिवीजन में वादग्रस्त भूमि का खाता नं0–62,63 एवं 64 जिसका रकबा कमशः–7.08 एकड़ 0.43 एकड़ एवं 1.57 एकड़ जमीन जो ग्राम–पौड़ी थाना–घाघरा जिला–गुमला है। उपरोक्त सभी जमीनों का खतियान रिवीजन

सर्वे में मंगरु उरॉव पिता–गोसाई उरॉव के नाम से बना है मंगरु उरॉव का वंश वृक्ष निम्न प्रकार है:–

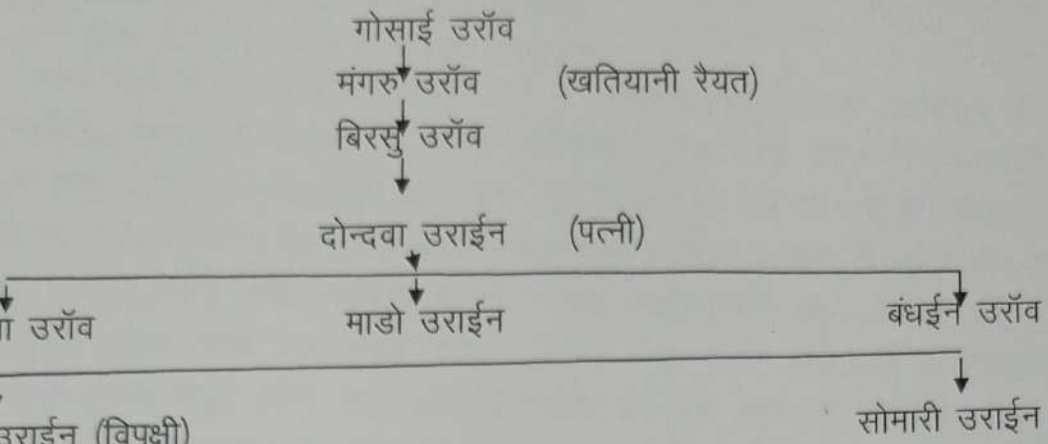

उपरोक्त वंश वृक्ष से यह स्पष्ट है कि विपक्षी कशिल उराईन खतियानी रैयत मंगरु उरॉव की वंशज है। उरॉव जाति के रीति रिवाज के अनुसार उरॉव जाति के व्यक्ति जिसका कोई पुत्र नही होता है केवल पुत्री होती है वह अपनी पुत्री हेतु घरदमाद रखता है तथा घरदमाद का अपने ससुर की संपत्ति में उनके पुत्र के समान होता है। शनिचरवा उरॉव का कोई पुत्र नही था केवल पुत्रियॉ थी इसलिए उसके द्वारा अपनी पुत्री कशील उराईन के लिए राम प्रसाद उरॉव को घर दमाद के रुप में लाकर रखा तथा दो तीन वर्षो तक घर में रखने के बाद उरॉव रीति रिवाज से उसकी शादी अपनी पुत्री कशिल उराईन के साथ कर दिया। उसके बाद से कशिल उराईन एवं रामप्रसाद उरॉव शनिचरवा उरॉव के ही घर में रहकर खेती बारी कर उसकी देख भाल करने लगे। शनिचरवा उरॉव के मृत्यु के बाद निम्न न्यायालय में वक्शीश करने हेतु आवेदन दिया था जिसका अनुमति वाद सं0–828/2005–06 था। उक्त वाद में अंचल अधिकारी घाघरा से प्रतिवेदन की मांग की गई थी जिसमें अंकित किया गया है कि आर0 एस0 खतियान के एक मात्र उत्तराधिकारी दोन्दवा उराईन है और उसमें एक भी पुरुष सदस्य नही है। कशिल उराईन दोन्दवा उराईन की पोती है। दोन्दवा उराईन की मृत्यु के बाद वर्त्तमान अपीलार्थी गोविन्द उरॉव को विवादित भूमि पर साझेदार के हैसियत से खेती बारी करते थे और कशिल उरॉव के सभी जमीन को हडपने हेतु खतियानी रैयत के वंशज बता कर अपने नाम से दाखिल खारिज करवा लिये। उक्त आदेश की जानकारी होने के बाद उत्तरवादी के द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में अपील दायर किया। जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के द्वारा सभी पहलुओं पर विचार करते हुए उत्तरवादी के पक्ष में फैसला दिया। उनके द्वारा निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए रिवीजन वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 खाता सं0–62,63 एवं 64 का खतियान की छाया प्रति।
2 रसीद की छाया प्रति।
3 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला द्वारा अनुमति वाद सं0–828/2005–2006 में पारित आदेश की छाया प्रति।
4 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के दाखिल खारिज वाद सं0–07/2007 में पारित आदेश की छाया प्रति।

5 A.I.R 1996 (S.C) 1864
6 उरॉव कस्टमरी लॉ पेज –219
7 2002 जे0सी0 आर 178 झारखण्ड
8 2004 जे0 एल0 जे0 आर0 582 झारखंड़
9 2004 जे0 एल0 जे0 आर0 422 झारखंड़

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क एवं समर्पित दस्तावेजों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रश्नगत खाता सं0–62,63 एवं 64 के खतियानी रैयत मंगरु उरॉव पिता–गोसाई उरांव थे तथा आर एस0 खाता नं0–62,63,एवं 64 सी0 एस0 खाता नं0–09 से बना है। जिसके खतियानी रैयत गोसाई उरांव वल्द थुलरु उरांव थे जो उत्तावादी कशिल उराईन के पूर्वज थे। दूसरी ओर अपीलार्थी गोविन्द उरांव वगै0 अपने आप को आर0 एस0 खाता नं0– 30 के वशज बताते हैं जिसका पूर्वज लुईया उरांव वल्द थुलरु उरांव दर्ज है। स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पूर्वज सी0 एस0 खाता नं0–9 थुलरु उरांव दोनों अलग–अलग व्यक्ति थे। इस बात का उल्लेख अंचल के जांच प्रतिवेदन एवं निम्न न्यायालय के आदेश में भी हुआ है। अपीलार्थी इस न्यायालय में भी इसी बात को प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि सी0एस0 खाता सं0–9 एवं सी0 खाता सं0–30के रैयतो के आपसी रक्त का संबंध है। प्रश्नगत भूमि 61,62,63 के अवलोकन से तथा उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत कुर्सीनामा से यह सपष्ट है कि प्रश्नगत भूमि खतियानी रैयत मंगरु उरॉव वल्द गोसाई उरॉव के वर्त्तमान में महलि सदस्य को छोड कर कोई पुत्र नही हुए। उत्तरवादी कशिल उराईन शनिचरवा उरॉव की पुत्री है। वर्त्तमान में कशिल उराईन अपने मायके ग्राम–जिलिंगसिरा में रहती है। निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट हुआ है कि शनिचरवा उरॉव अपनी पुत्री कशिल उराईन के लिए राम प्रसाद उरॉव को घर दमाद उरॉव रीति रिवरज के मुताबिक लाकर रखा था। इस तरह से उरॉव रीति रिवाज के मुताबिक घर दमाद राम प्रसाद उरॉव कशिल उराईन प्रश्नगत भूमि आर0एस0 खाता नं0–61,62 एवं 63 के वैद्य उत्तराधिकारी है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नही होती है। तद्आलोक में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखते हुए म्यूटेशन रिवीजन वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय के मूल अभिलेख के साथ वापस भेजते हुए इसकी प्रति संबंधित अंचल अधिकारी को भी दें।

लेखापित एवं संशोधित

12.06.22
उपायुक्त,
गुमला

12.06.22
उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 13:17:30 +05:30
Location: 192.168.5.101